पंचायत निगरानी संख्या : 76/2025
उनवान : लक्ष्मण कुमार चौधरी बनाम भीमाराम सीरवी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/111

प्रार्थी :–

लक्ष्मण कुमार चौधरी पुत्र लालाराम जाति सीरवी निवासी ग्राम चाणौद, तहसील सुमेरपुर हाल निवासी मैन इन्द्र कॉलोनी रोड़, पाली तहसील पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भीमाराम सीरवी पुत्र स्व. भैराराम जाति सीरवी निवासी सूरजपोल दरवाजा के बाहर, ग्राम चाणौद तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत चाणौद जरिये सरपंच तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत चाणौद के आदेश व प्रस्ताव (संकल्प) संख्या 06 दिनांक 20.12.2006 की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में मिसल संख्या 35/2006–07 से भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या 5886 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे.राठौड़।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांकः 30.03.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत चाणौद के आदेश व प्रस्ताव (संकल्प) संख्या 06 दिनांक 20.12.2006 की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में मिसल संख्या 35/2006–07 से भूमि विक्रय विलेख संख्या 5886 को निरस्त कराने बाबत्** पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि ग्राम पंचायत चाणौद जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव से जारी विक्रय विलेख संख्या 5886 की कार्यवाही तमाम ही विधि, तथ्यों व रिकॉर्ड के साथ–साथ मौके के विपरित होने से तथा साक्ष्यों के अभाव में प्रक्रिया विहिन होने से प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 को जिस ग्राम पंचायत चाणौद की आबादी भूमि मौहल्ला सीरवी समाज गौर भूमि लाटों में पट्टा जारी किया गया है। इसी मौहल्ला में प्रार्थी का भी पुश्तैनी नौहरा आया हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के पट्टाशुदा भाग पश्चिमी दिशा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2025

उनवान : लक्ष्मण कुमार चौधरी बनाम भीमाराम सीरवी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

की तरफ आम रास्ते को छोड़कर अपने समाज का एक भूमि एवं आगे नाति न्योहरा आया हुआ स्थित है।

3. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जिस भाग का पट्टा जारी किया गया है वह अपने कब्जे से अधिक भाग का गौर भूमि आम रास्ता की भूमि को सम्मिलित करते हुये जारी किया गया है। जिसके रहते अप्रार्थी संख्या 01 को आम रास्ता को संकरा करते हुये काफी हद तक तो अवैध निर्माण कर चुका है और आगे उक्त जैर निगरानी पट्टा के प्रभाव में रहते आम रास्ते को संकरा करने पर उतारु है। ऐसी स्थिति में मौका की भौतिक स्थिति से अधिक भूमि का पट्टा पंचायतीराज नियमों को ताक में रखते हुये जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव से जारी किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से काबिल खारिज योग्य है।
4. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जैर निगरानी पट्टा के प्रभाव में रहते आम रास्ते पर अवैध कब्जा कर चबूतरी बनाकर पक्का निर्माण कर उसे अवरुद्ध किया गया है तथा और भी पट्टे की आड में अवरुद्ध करने पर उतारु है जिससे प्रार्थी व आम व्यक्तिगण आम रास्ते सम्बन्धित सुखाधिकार के साथ–साथ विधिक उपयोग–उपभोग से प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में मौके से अधिक भू–भाग का आम रास्ता भूमि पर जारी जैर निगरानी पट्टा मय आदेश व प्रस्ताव खारिज करने योग्य है।
5. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा हाल ही में उक्त जैर निगरानी पट्टा भूमि पर पक्का रहवासीय मकान का निर्माण करवाया जा रहा था तब आम रास्ते को सम्मिलित करते हुए निर्माण करवाया जाने लगा तब प्रार्थी सहित आमजन द्वारा आपत्तिया जताई गई थी। परन्तु हाल ग्राम पंचायत सरपंच पति से अप्रार्थी के अच्छे रसुकात होने से बिना निर्माण स्वीकृति के ही मौके पर अवैध पक्का निर्माण करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने निर्माण से बाहर आम रास्ते की भूमि में चबूतरी का निर्माण अन्त में और अवैध तरीके से करवाया जाने लगा तब उसे चबूतरियों के निर्माण हेतु भी आमजन द्वारा निर्माण नहीं करने हेतु कहा गया तो उसने पट्टानुसार निर्माण करना जाहिर किया तब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत चाणौद से जैर निगरानी पट्टा मय आदेश व प्रस्ताव एवं मिसल पत्रावली की सम्पूर्ण नकलें प्राप्त करने हेतु सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत चाणौद के ग्राम विकास अधिकारी श्री उम्मेदराम को दिनांक 12.11.2024 को आवेदन किया था जो नकल आज दिन तक उपलब्ध नहीं करवाई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र उपलब्ध पट्टा फोटोप्रति के आधार पर तैयार कर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।
6. यह है अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव से जारी पट्टा कुल क्षेत्रफल 3893 वर्गफीट का है जबकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत ग्राम पंचायत को अधिकतम 300 वर्गगज यानि 2700 वर्गफीट क्षेत्रफल तक का ही पट्टा नियमानुसार जारी करने का क्षेत्राधिकार है तथा नियम 157 (1) (2) के तहत इससे अधिक क्षेत्रफल के लिये राजस्थान स्टाम्प, नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधिन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई बाजार दरों का 25 प्रतिशत राशि वसूल करने का प्रावधान है जिस सम्बन्ध में कोई किसी प्रकार की कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव मय जारी पट्टा खारिज करने योग्य है।
7. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा सम्बन्धित अन्य पंचायतीराज नियमों की पालना भी नहीं की गई जिसके रहते ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव एवं मिसल पत्रावली की नकलें मांगने पर भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है जो अपने आप में संदेह उत्पन्न कर रही है। ऐसी स्थिति में बिना प्रक्रिया के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2025
उनवान : लक्ष्मण कुमार चौधरी बनाम भीमाराम सीरवी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अपनाये अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव जारी पट्टा काबिले खारिज योग्य ळें

8. यह है कि जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव, पट्टा एवं मिसल पत्रावली हेतु ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 02 को प्रार्थी द्वारा नकल प्राप्ति हेतु आवेदन किया गया था। परन्तु अपने कार्यालय से प्राप्त नहीं करवाने पर उपलब्ध फोटोप्रति के आधार पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष बिना किसी विलम्ब किये प्रार्थी द्वारा तैयार कर पेश किया जा रहा है।
9. यह है कि प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव सहित पट्टा एवं मिसल की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 02 को आवेदन किया गया परन्तु उपलब्ध नहीं करवाई गई। ऐसी स्थिति में दौरानें सुनवाई प्राप्त सम्बन्धित रिकॉर्ड से प्रार्थी को होने वाली जानकारी के सम्बन्ध में प्रार्थी के अधिकार निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत करने के सुरक्षित रखे जावें जिससे निगरानी प्रार्थना पत्र का सही एवं समुचित व विधिक स्तर से निस्तारण किया जा सकेगा।
10. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 भीमाराम सीरवी के पक्ष में प्रस्ताव संकल्प संख्या 06 दिनांक 20.12.2006 की अनुपालना में जारी विक्रय विलेख पट्टा संख्या 5886 की तमाम कार्यवाहिया विधि विरुद्ध एवं मौके के विपरित केवल मात्र कागजी स्तर पर की गई है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पंचायतीराज के नियमों को ताक में रखते हुये अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर पट्आ प्रस्ताव व आदेश जारी किया है जो प्रथम दृष्टया ही विधि विरुद्ध होने से शून्य की परिभाषा में आता है ऐसे शून्य पट्टा प्रस्ताव व आदेश को विधि में कभी भी चुनौति दी जा सकती है अर्थात उसके लियेविधि में म्याद की कोई बाध्यता नहीं रहती। जैर निगरानी प्रस्ताव व आदेश की जानकारी प्रार्थी को होने पर आपत्ति दर्ज करवाई थी तथा पट्टा फोटोप्रति हाल ही मं 15 दिन पूर्व उपलब्ध होने पर यह निगरानी समय रहते अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतः प्रार्थी की ओर से निगरानी पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमावें तथा ग्राम पंचायत चाणौद, तहसील सुमेरपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 20.12.2006 के जरिये जारी पट्टा को मय खर्चा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

निगरानी याचिका दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मत तलब किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड़ उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या एक ने ज़रिए अधिवक्ता न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर यह लिखित आपत्ति प्रस्तुत किः–

1. पद संख्या एक निगरानी का जवाब है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा विलेख संख्या 5886 दिनांक 20.07.2007 पंचायत द्वारा मिसल संख्या 35/2006–07 की पालना में ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा अपने पंचायत संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.07. 2007 की पालना में जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में राज. पंचायती राज अधिनियम के तहत व उस पर बने नियम व उपनियमों के तहत जारी किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। मात्र प्रार्थी का यह लिखना की जारी किया गया पट्टा नम्बर 5886 विधि व तथ्यों व रिकॉर्ड के विपरित व साक्ष्य के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है। कतई मिथ्या व गलत होने से अस्वीकार है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा तमाम औपचारिकताओं का निर्वहन करने के पश्चात जारी किया गया है जिससे भी प्रार्थी की रिवीजन याचिका काबिल निरस्त के है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2025

उनवान : लक्ष्मण कुमार चौधरी बनाम भीमाराम सीरवी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

2. पद संख्या दो निगरानी का जवाब है ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में दिनांक 20.07.2007 को जो पट्टा जारी किया गया है वह भूमि बमौहल्ला सीरवी समाज गौर भूमि लाटो में आया हुआ है तथा प्रार्थी का रहवासिय मकान से आगे प्रार्थी का पुश्तैनी नोहरा काफी मकान को छोडकर आया हुआ है तथा अप्रार्थी का पट्टा शुदा भूखण्ड व सीरवी समाज की सम्पति के मध्य करीबन 20 फीट चौडा रास्ता आया हुआ है जहां से लोगो के आवागमन आम लोगो के गुजरने में कोई कठिनाई नहीं होती है।
3. पद संख्या तीन निगरानी का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या एक को ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा जारी किया गया पट्टा जहां पर अप्रार्थी संख्या 01 की पुश्तैनी सम्पति थी उसी भाग का ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा तमाम औपचारिकताओं का निर्वहन करने के पश्चात व मौजिज पंचों द्वारा मौका मुआयना किये जाने के पश्चात जारी किया गया है जिससे प्रार्थी का यह लिखना कि जारी किया गया पट्टा अप्रार्थी संख्या एक को कब्जे से अधिक वाले भाग पर आम रास्ते की भूमि में सम्मिलित करते हुए जारी किया गया है, का कथन गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा आम रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है बल्कि अप्रार्थी स्वयं समझदार होकर न्याय व कानून का आदर करने वाला व्यक्ति है। जिससे भी प्रार्थी की रिवीजन याचिका काबिल निरस्त के है यहां पर यह उल्लेखित करनाकी सुसंगत रहेंगा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक दोनो ही गांव चाणौद के मुल निवासी होकर अप्रार्थी संख्या एक को जाी किया गया पट्टा संख्या 5886 दिनांक 20.07.2007 का पंजीयन भी उप पंजीयक सुमेरपुर में दिनांक 22.02.2008 को स्वयं प्रार्थी लक्ष्मण कुमार द्वारा बहैसियत अधिवक्ता के पंजीयन करवाया गया है व प्रार्थी को यह भलीभांति जानकारी में है की अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी पट्टा 03 भागों में होकर कुल क्षेत्रफल 3893 वर्गफीट का है व 3893 वर्गफीट का ही पट्टा उप पंजीयक सुमेरपुर के यहां पंजीबद्ध प्रार्थी स्वयं द्वारा करवाया गया है जिससे प्रार्थी स्वयं अलग स्टेण्ड लेने से भी विबन्धित है जिससे भी प्रार्थी की पंचायत निगरानी काबिल खारिज के है।
4. पद संख्या चार निगरानी का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा ऐसा कोई निर्माण कार्य अपने पट्टाशुदा भाग में नहीं करवाया है जो आमरास्ते पर आता हो न ही आम रास्ते की भूमि पर चबुतरी बनाकर कोई अवैध कब्जा ही किया गया न ही अप्रार्थी द्वारा आम रास्ते की भूमि पर ऐसा कोई कृत्य ही किया गया है जिससे सुखाधिकार व हक हकूक प्रार्थी के प्रभावित होता है। जिससे भी प्रार्थी की रिवीजन याचिका काबिल खारिज के है।
5. पद संख्या पांच निगरानीका जवाब है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपने पट्टा शुदा भूखण्ड पर निर्माण कार्य नहीं किया है न ही अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत चाणौद सरपंच महोदय के अच्छे सम्बन्ध होने का कोई नाजायज फायदा ही लिया है। जिससे प्रार्थी का यह लिखना की अप्रार्थी द्वारा चबुतरीयों का निर्माण आम रास्ते की भूमि पर किया गया है का कथन कतई गलत, निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी से दिनांक 12.11.2024 को नकल मांगने व नकले उपलब्ध नहीं कराने की जानकारी अप्रार्थी को नहीं होने से अस्वीकार है।
6. पद संख्या 06 निगरानी का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या एक को ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा 3893 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है जो कानुनन सही है जहां तक प्रार्थी का यह लिखना की ग्राम पंचायत को अधिकतम 300 वर्गगज यानि 2700 वर्गफीट का पट्टा ही जारी करने का अधिकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत प्राप्त है कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। हकीकत में राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 11.02.2013 को जो अधिसूचना जारी की गई का प्रभाव राजपत्र में प्रकाशन की तारीख

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2025
उनवान : लक्ष्मण कुमार चौधरी बनाम भीमाराम सीरवी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

से प्रवर्तन होना बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि अधिसूचना 11.02.2013 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है जबकि अप्रार्थी संख्या एक को जारी किया गया पट्टा संख्या 5886 दिनांक 20.07.2007 को हो चुका है व बाद जारी होने पट्टा अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत चाणौद से इसी पट्टाशुदा भाग पर निर्माण की स्वीकृति दिनांक 05.01.2013 को प्राप्त कर आवश्यक निर्माण की स्वीकृति दिनांक 05.01.2013 को प्राप्त कर आवश्यक निर्माण करवाया गया है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी का यह लिखना की 157 (1)/2 के तहत ग्राम पंचायत चाणौद को 300 वर्गगज तक ही भूमि का पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार है व शेषा भूमि के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर से 25 प्रतिशत स्टाम्प पर ही पट्टा देय है के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागु नहीं होते है जिससे भी प्रार्थी की निगरानी काबिल खारिज के है।

7. पद संख्या सात निगरानी का जवाब है कि प्रार्थी ने अपने निगरानी में ऐसी कोई विधिक आपत्ति नही उठाई है जिससे कि जारी किया गया पट्टा निरस्त किया जा सके प्रार्थी का यह कहना की प्रार्थी को चाही गई नकले ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से मात्र से ही प्रार्थी को निगरानी का अधिकार प्राप्त नही होता है व नकले नहीं दिये जाने से ही प्रार्थी द्वारा सन्देह उत्पन्न करना बतौर अधिकवक्ता प्रार्थी को शोभा नही देता है जिससे भी प्रार्थी की निगरानी याचिका काबिल निरस्त के है
8. पद संख्या आठ निगरानी का जवाब है कि प्रार्थी द्वारा पट्टे की छाया प्रति के आधार पर जो निगरानी पेश की गई है उसमें प्रार्थी को कोई Locus Standi प्राप्त नहीं होते है व न ही प्रार्थी के किसी प्रकार के हक हकूक व अधिकार, सुखाधिकार ही प्रभावित होते है जिससे भी प्रार्थी की रिवीजन याचिका काबिल निरस्त के है प्रार्थी ने मात्र राजनैतिक द्वेषता व सामाजिक स्तर पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अप्रार्थी संख्या एक को टुल बनाने की कोशिश की है। जिसकी विधि अनुमति नही देती है जिससे भी प्रार्थी की निगरानी याचिका काबिल निरस्त के है।
9. पद संख्या नौ निगरानी का जवाब है कि प्रार्थी के कोई हक हकूक ही प्रभावित नही होते है तो प्रार्थी के अधिकार सुरक्षित रखने का प्रार्थी के पास कोई समुचित कारण व आधार नही होने से प्रार्थी की निगरानी याचिका काबिल निरस्त के है।
10. पद संख्या दस निगरानी का जवाब है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 20.0.7.2007 की पालना मे पट्टा नम्बर 5886 जारी किया गया को चुनौति देने का प्रार्थी को कोई अधिकार नही है तथा प्रार्थी ने यह निगरानी याचिका पट्आ जारी होने के 18 वर्ष बाद निगरानी याचिका पेश की है जो स्पष्टतया अवधि बाधित है यही नही प्रार्थी द्वारा पंचायत निगरानी को देरीना पेश करने का जो कारण व आधार बताया है वह नकले उपलब्ध कारण नही बताया जो सामान्य प्रक्रिया में मानने योग्य नही है प्रार्थी स्वयं पेशे से अधिवक्ता है व प्रार्थी स्वयं ने अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5886 का पंजीयन उपपंजीयक सुमेरपुर के यहा दिनांक 22.02.2008 को करवाया है जिससे अप्रार्थी के हक में नियमानुसार जारी किया गया पट्टा की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 22.02.2008 से भलिभांति है तथा प्रार्थी ने देरीना पेश की गई पंचायत निगरानी को माफ करने का कानूनन कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया जिससे इसी विनाय पर प्रार्थी की निगरानी याचिका काबिल निरस्त के है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक ने विशेष निवेदन किया कि:–

1. यह है कि प्राथी ने अप्रार्थी के विरुद्ध पंचायत निगरानी बिना किसी कारण व आधार के बेबुनियाद, गलत, असत्य, मात्र अप्रार्थी को तंग परेशान करने रुपयो पैसा से जैर बाज करने मानसिक तनाव पैदा करने अपने सामाजिक वजूद को बनाये रखने के लिए पंचायत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2025
उनवान : लक्ष्मण कुमार चौधरी बनाम भीमाराम सीरवी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

निगरानी पेश की है जो काबिल निरस्त के है तथा अप्रार्थी को विशेष हर्जाना की राशि रुपये 51000/– दिलाते हुए प्रार्थी की निगरानी याचिका काबिल निरस्त के है।

2. यह है कि प्रार्थी ने जारी पट्टा संख्या 5886 दिनांक 20.07.2007 जिसका पंजीयन उप पंजीयन सुमेरपुर के यहां दिनांक 22.02.2008 को स्वयं प्रार्थी के हाथों से किया गया है को निरस्त कराने के लिए प्रार्थी ने अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए बदनियति से पेश की है जिससे प्रार्थी की निगरानी याचिका काबिल निरस्त के है।
3. यह है कि पट्टा नम्बर 5886 दिनांक 20.07.2007 जो उपपंजीयन के यहां दिनांक 22.02.2008 का पंजीबद्ध किया गया को निरस्त शून्य व निरस्त कराने का एकमात्र क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को है तथा श्रीमान न्यायालय पंजीबद्ध पट्टा विलेख निरस्त नही कर सकता है जिससे भी प्रार्थी की रिवीजन याचिका काबिल निरस्त के है।
4. यह है कि अप्रार्थी ने अपने मकान का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में भवन सीमा के भीतर करवाया है तथा पानी की नाली की निकासी को छोड़कर अप्रार्थी ने अपने मकान की दिवार बनाई है जिससे भी प्रार्थी की निगरानी याचिका काबिल निरस्त के है।
5. यह है कि अप्रार्थी संख्या एक यह जवाब निगरानी अन्य आपत्ति व ऐतराज प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए पेश करता है।

वक्त बहस प्रार्थी/याचिकाकर्ता ने स्वयं उपस्थित होकर यह तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित आलोच्य भूमि विक्रय विलेख में आम रास्ते की भूमि भी सम्मिलित करते हुए विक्रय किया गया है, जो अवैधानिक होने से काबिल खारिज है। यह भी, कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज की सीमा तक ही भूमि विक्रय विलेख का अधिकार प्राप्त है किन्तु ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर कुल 3893 वर्गफीट का पट्टा विलेख निष्पादित किया गया। अप्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने से तथा प्रार्थी के जाति समाज का न्याति नौहरा इसी गली में स्थित होने से प्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों के वहां तक पहूंचने का मार्ग एवं भ्रमणाधिकार प्रभावित हो रहे है, अतः जैर निगरानी प्रस्ताव एवं पट्टा विलेख को अपास्त करावें।

याचिकाकर्ता ने अपने तर्कों की पुष्टि हेतु निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कियेः–

1. DNJ 2017 (2) 668
2. DNJ 2017 (2) 730
3. DNJ 2016 (4) 1799
4. DNJ 2019 (2) 570
5. DNJ 2025 (4) 1476
6. RLR 2000 (2) 39
7. DNJ 2020 (1) 201
8. Ghewar Chand Vs. State (Raj. H.C.) Order Dated 11-08-2017

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने उपरोक्त तर्कों का प्रतिकार करते हुए बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में नहीं माना जा सकता अर्थात 'Locus Standi' नहीं होने के कारण यह याचिका प्रथमदृष्टया ही काबिल खारिज है। साथ ही याचिकाकर्ता ने सम्पूर्ण याचिका पत्र में यह कहीं स्पष्ट अंकन नहीं किया है कि आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व किन वैधानिक तथा प्रक्रियात्मक उपबन्धों की अवहेलना हुई है एवं मात्र अस्पष्ट अभिवचनों पर एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा व दुर्भावना से ग्रसित होकर वैध पट्टा विलेख को चुनौति दी गई है, जो निरस्त योग्य है। यह भी,

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2025
उनवान : लक्ष्मण कुमार चौधरी बनाम भीमाराम सीरवी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

कि प्रार्थी द्वारा जिस पट्टा विलेख संख्या 5886 दिनांक 20.07.2007 को इस निगरानी याचिका के माध्यम से चुनौति दी गई है, उसी पट्टा विलेख को स्वयं याचिकाकर्ता ने अपनी उपस्थिति में उपपंजीयक कार्यालय सुमेरपुर में दिनांक 22.02.2008 को पंजीबद्ध करवाया था, जिसके प्रमाणस्वरुप उक्त पंजीयन दस्तावेज पर प्रार्थी की साख व हस्ताक्षर अंकित है। अर्थात् प्रार्थी को वक़्त पंजीयन दिनांक 22.02.2008 से ही आलोच्य प्रस्ताव व पट्टा विलेख की पूर्णतः जानकारी है। राजनीतिक दुर्भावनावश प्रार्थी द्वारा सत्रह वर्ष के असामान्य विलम्ब उपरान्त हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत की है जो अवधिबाधित है एवं उक्त विलम्ब के उपशमन हेतु प्रार्थी द्वारा पृथक से प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस को समेकित करते हुये निवेदन किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 में 300 वर्गगज तक की भूमि सीमा वर्ष 2013 में संशोधित की गई थी तथा उससे पूर्व उक्त नियम के अन्तर्गत नियमितिकरण हेतु कोई भूमि सीमा निर्धारित नहीं थी। ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में पारित आलोच्य प्रस्ताव एवं पट्टा विलेख वैधानिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए निष्पादित किया गया है जिसमें कोई हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है एवं पट्टा पंजीबद्ध हो जाने से न्यायालय को क्षेत्राधिकार भी बाधित है। अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका सव्यय खारिज की जाए।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये:–

1. 2021 DNJ 186
2. 2022 DNJ 949

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा अप्रार्थी श्री भीमाराम के पक्ष में प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 20.12.2006 पारित करते हुए पुराने गृहों के विनियमितिकरण (नियम 157) के रुप में आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 5886 दिनांक 20.07.2007 बमाप 3893 वर्गफीट निष्पादित किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त प्रस्ताव एवं भूमि विक्रय विलेख को प्रमुखतः निम्न आधारो पर चुनौति प्रस्तुत की गई है।

1. आलोच्य भूमि विक्रय विलेख में सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि शामिल है, जिससे उस गली में स्थित प्रार्थी के जाति समाज के न्याति नौहरे तक पहूँच मार्ग संकरा होने से प्रार्थी एवं अन्य लोगों के सुखाधिकार में बाधा उत्पन्न हुई है।
2. ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित करने से पूर्व वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। यद्यपि प्रार्थी द्वारा याचिकापत्र में इन वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियों का विवरण अंकित नहीं किया है, सिवाय इसके कि आलोच्य पट्टा विलेख कुल 3893 वर्गफीट माप का जारी है जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को मात्र 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट की सीमा तक ही भूमि नियमन का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अप्रार्थीपक्ष द्वारा जवाब/आपत्ति पत्र एवं वक्त बहस यह ऐतराज प्रस्तुत किया गया कि हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी 'हितबद्ध व्यक्ति' की श्रेणी में शामिल नहीं है अर्थात प्रार्थी का 'Locus Standi' नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा आलोच्य पट्टा विलेख की प्रारम्भ से ही जानकारी होने के उपरान्त भी सत्रह वर्षों के असामान्य विलम्ब उपरान्त इसे चुनौति दी गई है अर्थात् हस्तगत निगरानी याचिका स्पष्टतया अवधिबाधित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2025

उनवान : लक्ष्मण कुमार चौधरी बनाम भीमाराम सीरवी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अप्रार्थी श्री भीमाराम द्वारा प्रश्नगत 'हितबद्ध व्यक्ति' सम्बन्धि आक्षेप के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का अवलोकन करना समीचीन है। उक्त अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह प्रावधान हैं कि:–

"राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्यच या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी,

परन्तु राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो।"

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रावधानान्तर्गत किसी पंचायतीराज संस्था के किसी आदेश/कार्यवाही/निर्देश को चुनौति देने हेतु याची का 'हितबद्ध व्यक्ति' होना आज्ञापक

हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका के पद संख्या दो एवं चार में प्रार्थी ने यह अंकित किया है कि:–

"यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 को जिस ग्राम पंचायत चाणौद की आबादी भूमि मौहल्ला सीरवी समाज गौर भूमि लाटों में पट्टा जारी किया गया है। इसी मौहल्ला में प्रार्थी का भी पुश्तैनी नौहरा आया हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के पट्टाशुदा भाग पश्चिमी दिशा की तरफ आम रास्ते को छोड़कर अपने समाज का एक भूमि एवं आगे नाति न्योहरा आया हुआ स्थित है।"

"यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जैर निगरानी पट्टा के प्रभाव में रहते आम रास्ते पर अवैध कब्जा कर चबूतरी बनाकर पक्का निर्माण कर उसे अवरुद्ध किया गया है तथा और भी पट्टे की आड में अवरुद्ध करने पर उतारु है जिससे प्रार्थी व आम व्यक्तिगण आम रास्ते सम्बन्धित सुखाधिकार के साथ–साथ विधिक उपयोग–उपभोग से प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में मौके से अधिक भू–भाग का आम रास्ता भूमि पर जारी जैर निगरानी पट्टा मय आदेश व प्रस्ताव खारिज करने योग्य है।"

अर्थात् प्रार्थी द्वारा इसी मौहल्ले में स्वयं का मकान तथा जैर निगरानी विवादित भूखण्ड के समीपस्थ सीरवी समाज का न्याति नौहरा अवस्थित होने का कथन करते हुए प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि पर तथाकथित अतिक्रमण से प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों के सुखाधिकार बाधित होने का अवलम्ब लेते हुए हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।

प्रथमतः, तो प्रार्थी द्वारा सुनवाई के किसी भी स्तर पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रश्नगत रास्ते की दस्तावेजों में कितनी चौडाई निर्धारित है और वर्तमान में मौके पर कितना रास्ता उपलब्ध है और न ही बिल्डिंग लाईन इत्यादि के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रासंगिक दस्तावेज ही प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक सीरवी समाज के न्याति नौहरे तक पहुँच मार्ग का प्रश्न है तो प्रार्थी ने सम्पूर्ण याचिका में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि प्रार्थी/याचिकाकर्ता उक्त संस्था में किस हैसियत (official Capacity) से सम्बद्ध है अथवा क्या ऐसी कोई संस्था रजिस्टर्ड भी है अथवा नहीं। प्रार्थी द्वारा उक्त समाजिक संस्था के भवन का न तो कोई प्रासंगिक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2025
उनवान : लक्ष्मण कुमार चौधरी बनाम भीमाराम सीरवी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

दस्तावेज उपलब्ध करवाया है और न ही उक्त भवन की विवादित भूखण्ड के सन्दर्भ में सटीक अवस्थिति ही दर्शायी है। प्रार्थी का याचिका के पद संख्या दो में यह अंकित करना भी अस्पष्ट कथन की श्रेणी में ही माना जाएगा कि प्रार्थी का मकान इसी मौहल्ले में स्थित है, चूंकि प्रार्थी ने ज़ैर निगरानी भूखण्ड के सन्दर्भ में अपने मकान की अवस्थिति (location) का भी विवरण उपलब्ध नहीं करवाया है, जिसके आधार पर प्रार्थी के पहुँच मार्ग एवं इस तरह उसके 'हितबद्ध व्यक्ति' होने सम्बन्धि कोई उपधारणा की जा सके।

द्वितीयतः,स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन निगरानी के पद संख्या चार में स्वयं के तथा आम व्यक्तियों के रास्ते सम्बन्धि सुखाधिकार प्रभावित होने का कथन किया गया है। सुखाधिकार सम्बन्धि बिन्दु के सम्बन्ध में विधिक स्थिति यह है कि रास्ते सम्बन्धि सुखाधिकार के प्रश्न के निर्धारण का क्षेत्राधिकार साक्ष्य सुनवाई के आधार पर सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। अपीलीय न्यायालय को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने से प्रार्थी सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतन्त्र है।

तृतीयतः, अप्रार्थीपक्ष द्वारा हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका को अवधिबाधित बताते हुए यह उज़र लिया गया है कि ज़ैर आलोच्य पट्टा विलेख को स्वयं प्रार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा उपपंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया गया था तथा उक्त पंजीयन दस्तावेज पर साख के रुप में प्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है।

इस संबंध में अप्रार्थीपक्ष द्वारा उपलब्ध करवाए गए पंजीयन दस्तावेज दिनांक 22.02.2008 के अवलोकन से उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। स्वयं प्रार्थी ने भी इस सम्बन्ध में कोई खण्डन अभिव्यक्त नहीं किया। अर्थात् यह 'स्वीकार्य स्थिति' (Admitted Position) है कि प्रार्थी द्वारा जिस पट्टा विलेख संख्या 5886 को हस्तगत निगरानी याचिका के माध्यम से चुनौति प्रस्तुत की गई है, उक्त पट्टा विलेख की प्रार्थी को दिनांक 22.02.2008 से ही जानकारी थी। जबकि प्रार्थी द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका इस न्यायालय में दिनांक 12.05.2025 अर्थात् लगभग सत्रह वर्षों के विलम्ब उपरान्त प्रस्तुत की है।

यद्यपि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 में निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु कोई अवधिसीमा निर्धारित नहीं है, किन्तु परिसीमा अधिनियम, 1963 सपठित अनुसूची अनुसार जिन प्रकरणों में अवधिसीमा (Limitation) निर्धारित नहीं है उन प्रकरणों में अवधिसीमा तीन वर्ष मानने की उपधारणा है इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने प्रकरण बउनवान Chimanlal Vs. State of Raj. RLR 2000 (2) 39 में यह न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–"Accordingly, we answer the reference that when no period of limitation is provided either under the act or the rules then the same has to be exercised within a reasonable time and reasonable time will depend upon the facts and circumtances of each case."

उक्त न्यायिक दृष्टान्त स्वंय प्रार्थी ने भी प्रस्तुत किया है किन्तु प्रार्थी न्यायालय हाजा के समक्ष यह स्पष्ट करने में असफल रहे है कि आलोच्य पट्टा विलेख की दिनांक 22.02.2008 को ही जानकारी हो जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा लगभग सत्रह वर्षों के विलम्ब उपरान्त इसे चुनौति देने का क्या वैध व तार्किक (Reasonable) आधार है। इसके उलट प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका के पद संख्या दस में सर्वप्रथम जानकारी होने के सम्बन्ध मे भ्रामक व अस्पष्ट कथनों का अंकन कर न्यायालय को गुमराह करने का भी प्रयास किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2025
उनवान : लक्ष्मण कुमार चौधरी बनाम भीमाराम सीरवी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख का जब स्वयं प्रार्थी द्वारा बतौर साक्षी उपपंजीयक कार्यालय सुमेरपुर में दिनांक 22.02.2008 को पंजीबद्ध करवाया गया था, तो उसी पट्टा विलेख की वैधता को लगभग सत्रह वर्षों के असामान्य विलम्ब उपरान्त चुनौति देने की कार्यवाही प्रथमदृष्टया न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग ही प्रतीत होता है। ऐसे असामान्य विलम्ब के उपशमन हेतु प्रार्थी द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है।

चतुर्थतः,प्रार्थी द्वारा आलोच्य पट्टा विलेख के सम्बन्ध में उठाई गई क्षेत्राधिकार सम्बन्धि आपत्ति का विवेचन भी प्रासंगिक है। प्रार्थी के कथनानुसार हस्तगत पट्टा विलेख राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत निष्पादित किया गया है जिसमे ग्राम पंचायत को मात्र 300 वर्गगज यानि 2700 वर्गफीट तक की रहवासी भूमि ही पुश्तैनी कब्जे के आधार पर नियमित करने की शक्ति प्राप्त है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा 3893 वर्गफीट का पट्टा विलेख निष्पादित कर वैधानिक व क्षेत्राधिकार सम्बन्धि त्रुटि कारित की गई है।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में यह उपबन्धित है कि:–

(1) "जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में– 100/–रु संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत। परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी और उपुर्यक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

परन्तु यह और कि (प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 और प्रशासन गांव के संग अभियान, 2023) की कालावधि के दौरान फीस खण्ड (i) और (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के पचास प्रतिशत के समतुल्य की दर से प्रभारित की जायेगी।

(2) ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झोपड़ी/कच्चे–गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 गज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितिकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्रारुप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।"

किन्तु अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि उक्त नियम 157 में अंकित 300 वर्गगज की सीमा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना क्रमांक/रुल्स/लीगल/पी आर/2012/135 दिनांक 11.02.2013 द्वारा अधिरोपित की गई है। अर्थात् जैर निगरानी आलोच्य प्रस्ताव संख्या दो दिनांक 20.12.2006 तथा पट्टा विलेख दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2025
उनवान : लक्ष्मण कुमार चौधरी बनाम भीमाराम सीरवी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

20.07.2007 पारित करने के समय पुश्तैनी घरों के विनियमतिकरण के सम्बन्ध में उक्त नियम 157 में भूमि के क्षेत्रफल सम्बन्धि कोई सीमा का प्रावधान नहीं था।

उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा जैर निगरानी आलोच्य प्रस्ताव एवं पट्टा विलेख के सम्बन्ध में कोई अन्य वैधानिक त्रुटि अथवा प्रक्रियात्मक कमी का कोई विवरण उपलब्ध नहीं करवाया है।

अतः उपरोक्त विश्लेषणानुसार याचिकाकर्ता न केवल हस्तगत प्रकरण में स्वयं को 'हितबद्ध व्यक्ति' (Locus Standi) एवं लगभग सत्रह वर्षों के असामान्य विलम्ब उपरान्त निगरानी याचिका पेश करने का कोई वैध कारण सिद्ध करने में असफल रहे है अपितु ग्राम पंचायत चाणौद द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 20.12.2016 तथा पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2007 के विरुद्ध ऐसी कोई वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि भी साबित नहीं कर पाए है जिस आधार पर प्रश्नगत भूमि विक्रय विलेख सम्बन्धि कार्यवाही को अवैधानिक मानने की उपधारणा की जा सके।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ पंचायत का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)